

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-304/17 श्र.सं.- 183
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/गया/नवादा/अरवल/समस्तीपुर/जहानाबाद ।

पटना, दिनांक:- 21-3-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	सीतामढ़ी	23	115000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-153 दिनांक-19.02.18 के आलोक में ।
2	तदैव	गया	119	595000	श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक-332 दिनांक-14.3.18 के आलोक में ।
3	तदैव	नवादा	12	60000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-227 दिनांक-13.3.18 के आलोक में ।
4	तदैव	अरवल	3	15000	श्रम अधीक्षक, अरवल के पत्रांक-69 दिनांक-16.3.18 के आलोक में ।
5	तदैव	समस्तीपुर	2	10000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-208 दिनांक-14.3.18 के आलोक में ।
6	तदैव	जहानाबाद	20	100000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-72 दिनांक-27.1.18 के आलोक में ।
	कुल योग		179	895000	

कुल आवंटित राशि ₹ 8,95,000/- (₹ आठ लाख पनचानवे हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांवित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो ।
- अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से सीतामढ़ी जिले के 07, गया जिले के 104, नवादा जिले के 05 एवं जहानाबाद जिले के 20 अर्थात् कुल 136 अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

6. आवंटन निर्गत किये जाने के प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग को अनुमोदन प्राप्त है।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
21/3/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- *183* पटना, दिनांक *21-3-18*
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- *183* पटना, दिनांक *21-3-18*
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-100, 111, 121 एवं 51 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-09.03.18, 15.3.18, 20.3.18 एवं 06.02.18 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*स्पीड पोस्ट

2. अवर सचिव, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय 24 मार्च 2018 तक सुनिश्चित करवा कर उसका उपयोगिता/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करवायेगें ।
4. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

21/3/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- *183* पटना, दिनांक *21-3-18*
प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/3/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।